" शिक्षण, शोध एवं इंटर्नशिप सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन (MoU)"

समझौता / अनुबंध ज्ञापन (MOU)

मध्य

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भदोही

एवं

डी.ए.वी. पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, वाराणसी

दिनांक : 21 अप्रैल 2026

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भदोही एवं डी.ए.वी. पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, वाराणसी दोनों संस्थानों के समाजशास्त्र विभाग के अन्तर्गत समाजशास्त्र विषय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अकादमिक और सांस्कृतिक आदान–प्रदान / प्रतिदान कार्यक्रमों से होने वाले लाभों को स्वीकार करते हुए, आपसी हित के निम्नलिखित अकादमिक गतिविधियों के सामान्य क्षेत्रों में सहयोग हेतु प्रस्तुत समझौते / अनुबंध को स्वीकृत करता है। इस सहयोग समझौते के तहत लागू की जाने वाली प्रत्येक विशिष्ट शैक्षणिक गतिविधि के लिए सहयोग की शर्तों के अनुसार प्रस्तावित गतिविधि को शुरू करने से पहले, दोनों संस्थानों द्वारा आपसी चर्चा आवश्यक है, जिसकी सहमति लिखित रूप में दोनों संस्थानों के मध्य प्रेषित की जाएगी। इस संदर्भ में दोनों संस्थान अपने महाविद्यालय के वेबसाइट पर एक–दूसरे को अकादमिक गतिविधि हेतु भागीदार संस्थान के रूप में सूचीबद्ध करने हेतु सहमति अद्यतन स्वीकृत है

कार्यक्रम :

1. छात्र और संकाय (Faculty) आदान–प्रदान / प्रतिदान।
2. राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त संगोष्ठी, कार्यशाला, सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रम।
3. शिक्षकों, कर्मचारियों और शोधार्थियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम।
4. अल्पकालिक / अभ्यागत अतिथि संकाय (visiting Faculty) कार्यक्रम।
5. अनुसंधान और विकास कार्यक्रम तथा प्रकाशन गतिविधियाँ संयुक्त तत्वावधान में।
6. इंटर्नशिप एवं कौशल विकास कार्यक्रम।
7. सहायक (Adjunct) और अतिथि संकाय की विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी तथा छात्र नामांकन के माध्यम से संकाय और छात्रों की विविधता को बढ़ाने हेतु सुविधा एवं मार्गदर्शन।
8. आपसी हित के अन्य कार्यक्रम जो दोनों संस्थानों के विभाग द्वारा निर्धारित।

समझौते की अवधि एवं दायरा :

1) प्रस्तुत समझौते से संबंधित प्रत्येक संस्थान इस समझौते के तहत आयोजित एवमं प्रस्तावित गतिविधियों के विकास, चर्चा, कार्यान्वयन और मूल्यांकन को सुगम बनाने हेतु प्रभारी/संपर्क अधिकारी (Liasion Officer) के रूप में कार्य करने हेतु समाजशास्त्र विषय/विभाग के प्रभारी/वरिष्ठ प्राध्यापक को नामित करेगा।
2) दोनों संस्थान किसी भी समय इस समझौता ज्ञापन और इसके तहत किए गए समझौते की गतिविधियों के क्रियान्वयन की समीक्षा कर सकते हैं और आपसी सहमति से कोई भी आवश्यक बदलाव कर सकते हैं।
3) मौजूदा अनुबंध और प्रोटोकॉल दोनों संस्थानों ऑथराइज्ड ऑफिसर्स एवं दोनों विभागों से नामित विभाग प्रभारियों के हस्ताक्षर के बाद उसी तारीख से लागू होगा जिसकी अवधि पांच (5) वर्ष होगी या इससे अधिक की होगी।
4) अनुबंध स्वीकृत दोनों संस्थान में से कोई भी, किसी भी शैक्षणिक वर्ष के अंत में, वर्तमान समझौते को समाप्त कर सकता है, जिसकी सूचना नोटिस के माध्यम से दो (2) माह पूर्व दिया जाना आवश्यक है, बशर्ते कि इस समझौता भंग से संचालित किऐ जाने वाले अथवा तत्काल अवधि में संचालित किसी भी कार्यक्रम पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। वर्तमान समझौते को, दोनों संस्थानों की लिखित सहमति के माध्यम से, एक और निर्धारित अवधि (वर्ष) के लिए बढ़ाया/विस्तारित किया जा सकता है।

हस्ताक्षर

प्रो. माया
प्राचार्य
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भदोही

प्राचार्य
डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी
राजकीय महाविद्यालय, भदोही
जनपद भदोही-221401

गवाह का नाम – सुश्री पूनम द्विवेदी
असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भदोही

प्रो. मिश्रीलाल
प्राचार्य
डी.ए.वी. पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, वाराणसी

Principal
DAV P.G. College
Varanasi

गवाह का नाम– डॉ नेहा चौधरी
एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
डी.ए.वी. पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, वाराणसी